

सारणी-2 : प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र सं	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जन सहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरीमें	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरीमें		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त नवम्बर में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2.	शिक्षण शुल्क	2075	2075	-	--	शिक्षण शुल्क	11000	11000
3.	अराजकीय खाता : अवधानद्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	500	500	500	--	अवधानद्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	3750	3750
4.	विविध मद {परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क}	500	500	500	500	विकास शुल्क	4400	4400
5.	पुस्तकालय खुलीपुस्तकों (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500			
6.	विद्यार्थीकलब / विद्यार्थीसभा शुल्क	250	250	250	250			
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075			
	कुल	6350	6150	4275	3575	कुल	19150	19150
	कुल	12500		7850		कुल	38300	

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट :

- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
- निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
- सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अकित शुल्क में से केवल अंशिक शुल्क रु. 1000/- (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशिनकदके रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
- विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट-I एवं II प्रस्तुत करें।